कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

वन भवन–1, हजारीबाग 825301 (झारखण्ड)

Ph. & Fax (O) - 06546 -222393, Cell No. : 8987790202 E-mail: cf-hazaribagh@gov.in

पत्रांक13-E-5-02/2020:– दिनांक :–

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

विषयः– **33/11 के0भी0 पदमा सबस्टेशन से नचनवे सब स्टेशन तक 33 के0भी0 ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु 7.608 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव।**

प्रसंगः– **प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची का पत्रांक 592 दिनांक 17.08.2020, पत्रांक 14 दिनांक 04.01.2021 एवं आपका आपका ज्ञापांक 1593 दिनांक 24.08.2020 एवं ज्ञापांक 80 दिनांक 09.01.2021**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संवंध में वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल ने अपने पत्रांक 888 दिनांक 18.02.2021 द्वारा विषयक परियोजना में प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची द्वारा निम्नलिखित दो बिन्दुओं पर किये पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन समर्पित किया है, जो निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	पृच्छा	अनुपालन
1	प्रस्ताव के साथ वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत् उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा निर्गत दावारहित प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है।	उपायुक्त हजारीबाग के पत्रांक 35 दिनांक 21.01. 2021 द्वारा निर्गत 7.608 हे0 वनभूमि का दावा रहित प्रमाण पत्र एवं बैठक की कार्यवाही संलग्न है। (अनु0–1)
2	इस परियोजना में प्रयुक्त 2.698 हे0 जंगल–झाड़ वन भूमि उपयोग के विरूद्ध उपायुक्त, हजारीबाग के ज्ञापांक 1012 (क0) दिनांक 13.08.2019 द्वारा कुल 5. 860 हे0 जंगल–झाड वन भूमि हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न है। इसमें विरोधाभाष है।	परियोजना में सन्निहित 2.698 हे0 जंगल–झाड़ी वनभूमि के विरूद्ध उपायुक्त, हजारीबाग के ज्ञापांक 117 दिनांक 10.02.2021 द्वारा निर्गत 2.698 हे0 जंगल–झाड़ी का संशोधित अनापति प्रमाण–पत्र संलग्न है। (अनु0–2)
	(क) मौजा लाटी में प्रस्तावित रकवा 0.570 हे0 है जबकि 0.568 हे0 का ही NOC प्राप्त है।	उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा निर्गत संशोधित अनापति प्रमाण–पत्र संलग्न है।
	(ख) मौजा सरैया के प्लॉट नं0 1543 रकवा 0.270 हे0 का NOC प्राप्त नहीं है।	उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण–पत्र संलग्न है।
	(ग) मौजा–पदमा एवं नचनवे में प्रस्तावित प्लौटवार रकवा एवं प्राप्त NOC रकवा में भिन्नता है।	उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा निर्गत संशोधित अनापति प्रमाण–पत्र संलग्न है।

अतः वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल से प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन की छः प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0–यथोक्त।

आपका विश्वासी
ह0/–
वन संरक्षक
प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

ज्ञापांक 525 दिनांक 26/02/2021

प्रतिलिपि वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल को उनके पत्रांक 888 दिनांक 18.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

वन संरक्षक
प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

\\Desktop-esst116\e\CF\B\F.C. Act\Padma to Nachanve Transmission line\13-E-5-2-2020.docx

कार्यालय – वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग

☎ 06546-222339, Email- dfo.hazaribaghwest@rediffmal.com & dfo-hazaribaghwest@gov.in

पत्रांक : 888 दिनांक : 18/2/2021

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
हजारीबाग।

विषय :– 33/11 के0 भी0 ग्राम पदमा सबस्टेशन से 33/11 के0वी0 ग्राम नचनवे सबस्टेशन तक निर्माणाधीन 33 के0बी0 लाईन के 7.608 हे0 वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के के संबंध।

प्रसंग :– आपका पत्रांक 1868 दिनांक 20.08.2020 एवं पत्रांक 71 दिनांक 06.01.2021।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना के संबंध में दो बिन्दुओं पर पृच्छा की गई थी। पृच्छा के संदर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने पत्रांक 246 दिनांक 11.02.2021 द्वारा समर्पित किया है, जो निम्नानुसार है :–

(1) वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत उपायुक्त, हजारीबाग का पत्रांक 35 दिनांक 21.01.2021 द्वारा 7.608 हे0 वन भूमि दावा रहित प्रमाण पत्र बैठक की कार्रवाई के साथ समर्पित किया गया है।

(2) परियोजना में प्रयुक्त 2.698 हे0 जंगल –झाड़ वन भूमि उपयोग के विरूद्ध उपायुक्त, हजारीबाग के ज्ञापांक 117 दिनांक 10.02.2021 द्वारा निर्गत संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है।

अतः बिन्दु संख्या 01 एवं 02 का अनुपालन प्रतिवेदन 07–07 प्रतियों में इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0–यथोक्त।

वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल
पत्र संख्या 773
दिनांक 23-02-21
हजारीबाग (झारखण्ड)

आपका विश्वासी

18/02/21

वन प्रमंडल पदाधिकारी
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

\\HWD-HP\Users\Public\Forestoffice1\Land Acquisition under F.C Act\Nachanve (Sub-station)\Letter to CF (FCA Folder).doc- 7 -

Annexure-I

FORM-I
(for linear projects)
Government of Jharkhand
Office of the District Collector
Hazaribag

No...35

Dated..21.01.2021

To WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11- 9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.858 hectare, 0.570 hectare, 4.087 hectare & 2.093 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited** for construction of **33 kv line from village Padma to village Nachanve** in Hazaribagh district falls within jurisdiction of **Padma (0.858 hec), Lati (0.570 hec), Saraiya (4.087 hec)& Nachanve (2.093 hec)village(s) in Padma tehsils.**

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **7.608 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure 3.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encls.:Asabove.

Deputy Commissioner
Hazaribag

Gopal Prasad Barnwal
Electrical Executive Engineer-Project
Electric Supply Circle
Hazaribagh

R. N. MISHRA
I.F.S.
Divisional Forest Officer
West Division, Hazaribag

Scanned with CamScanner

…नांक–15.09.2020 को अपराह्न 4:30 बजे उपायुक्त, हजारीबाग की …अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :–पंजी के अनुसार।

कार्यवाही

जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा हजारीबाग जिले के वनाधिकार अधिनियम अन्तर्गत लंबित दावापत्रों के सूची एवं संबंधित कागजात उपस्थापित किया गया जिसे समिति द्वारा समीक्षोपरान्त निम्नवत् निर्णय गया:–

1. अनुमण्डल पदाधिकारी, बरही के ज्ञापांक 717/स0 दिनांक 24.06.2020 के द्वारा 33 के0बी0ए0 ग्राम पदमा से ग्राम नचनबे लाईन का निर्माण के लिए अनुमण्डल वनाधिकार समिति से पारित प्रस्ताव को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति से पारित करने हेतु प्राप्त हुआ है। समिति द्वारा समीक्षा किया गया एवं पाया गया कि अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही में जमीन का रकबा, खाता, प्लॉट एवं भूमि का प्रकार अंकित नहीं है। कार्यवाही के साथ संलग्न कागजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम–पदमा, लाटी, सरैया एवं नचनबे के अन्तर्गत निम्नांकित भू–खण्डो के लिए जिला स्तरीय वनाधिकार समिति से अनापति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है:–

Forest Land							
S.N	Village	Thana No.	Sheet No.	Plot No.	Khata No.	Length Km.	Area -Ha
1	Padma	27	3	71	883	0.167	0.251
2			1	467	881	0.287	0.431
3			1	370	662	0.040	0.060
	Total		-	-	-	**0.494**	**0.742**
4	Lati	28	-	-	-	-	-
5			-	-	-	-	-
	Total		-	-	-	-	-
6	Saraia	26	1	1550	310	0.484	0.726
7			1	1554	310	0.304	0.456
8			1	1555	310	0.488	0.732
9			1	1544	310	0.487	0.731
10			1	1545	310	0.058	0.087
11			1	1555	310	0.172	0.258
12			1	-	-	-	-
	Total					**1.993**	**2.990**
13	Nachanwe	8	1	889	1	0.600	0.900
14			1	885	1	0.11	0.165
15			1	815	2	0.075	0.113
	Total		-	-	-	**0.785**	**1.178**
	Grand Total		-	-	-	**3.272**	**4.910**

Gopal Prasad Barnwal
Electrical Executive Engineer-Project
Electric Supply Circle
Hazaribagh

R. N. MISHRA
I.F.S.
Divisional Forest Officer
West Division, Hazaribag

Scanned with CamScanner

G.M Jungle-Jhadi							
S.N	Village	Thana No.	Sheet No.	Plot No.	Khata No.	Length Km.	Area -Ha
1	Padma	27	4	6812	883	0.043	0.065
2			4	6819	883	0.020	0.030
3			4	6825	883	0.014	0.021
	Total		-	-	-	**0.077**	**0.116**
4	Lati	28	1	1	46	0.180	0.270
5			1	108	46	0.200	0.300
	Total		-	-	-	**0.380**	**0.570**
6	Saraia	26	-	-	-	-	-
7			-	-	-	-	-
8			1	1545	310	0.110	0.165
9			1	1559	310	0.148	0.222
10			1	1543	310	0.180	0.270
11			1	1544	310	0.284	0.426
12			1	1550	310	0.009	0.014
	Total		-	-	-	**0.731**	**1.097**
13	Nachanwe	8	1	885	1	0.240	0.360
14			2	815	1	0.370	0.555
15			-	-	-	-	-
	Total		-	-	-	**0.610**	**0.915**
	Grand Total		-	-	-	**1.798**	**2.698**

S.N	Name of Village	Forest Land		G.M Jungle-Jhadi		Total	
		Length Km.	Area -Ha	Length Km.	Area -Ha	Total Length Km	Total Area -Ha
1	Padma	0.494	0.742	0.077	0.116	0.571	0.858
2	Lati			0.380	0.570	0.380	0.570
3	Saraia	1.993	2.990	0.731	1.097	2.724	4.087
4	Nachanwe	0.785	1.178	0.610	0.915	1.395	2.093
5	**TOTAL**	**3.272**	**4.910**	**1.798**	**2.698**	**5.070**	**7.608**

सर्वसम्मति से उक्त भू-खण्डों का 33 के0बी0ए0 पदमा से नचनबे लाईन निर्माण हेतु अनापति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा निर्णय लिया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी, बरही को निदेशित किया गया कि भविष्य में इस प्रकार के प्रस्ताव को पारित करने में कार्यवाही में संबंधित भू-खण्ड का सम्पूर्ण विवरण अंकित करेंगें।

2. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल के पत्रांक 3279 दिनांक 13.09.2019 द्वारा विष्णुगढ़ अंचल के 06 सामुदायिक दावों के मूल अभिलेख जिला कल्याण कार्यालय को प्राप्त है। समिति द्वारा समीक्षा किया गया एवं पाया गया कि उक्त 06 सामुदायिक दावा पत्र अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार

Gopal Prasad Barnwal
Electrical Executive Engineer-Project
Electric Supply Circle
Hazaribagh

R. K. MISHRA
I.F.S.
Divisional Forest Officer
West Division, Hazaribag

Scanned with CamScanner

समिति में पारित नहीं है जिसे अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति से पारित करने हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर को भेजने का निर्णय लिया गया।

सधन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

जिला क0 पदा0, हजारीबाग।	वन प्र0 पदा0, पूर्वी वन प्र0, हजारीबाग।	वन प्र0 पदा0, पश्चिमी वन प्र0 हजारीबाग।	उपायुक्त, हजारीबाग।

शिलवन्ती नाग
शिलवंती नाग

सदस्य ज्ञापांक 771 /क0, हजारीबाग, दिनांक 21/10/ 2020

प्रतिलिपिः- सभी संबंधित पदाधिकारियो/सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला क0 पदा0, हजारीबाग।	वन प्र0 पदा0, पूर्वी वन प्र0, हजारीबाग।	वन प्र0 पदा0, पश्चिमी वन प्र0 हजारीबाग।	उपायुक्त, हजारीबाग।

शिलवन्ती नाग
शिलवंती नाग
सदस्य

Gopal Prasad Barnwal
Electrical Executive Engineer-Project
Electric Supply Circle
Hazaribagh

R. N. MISHRA
Divisional Forest Officer
West Division, Hazaribag

Scanned with CamScanner

उपायुक्त का कार्यालय (कल्याण शाखा)

हजारीबाग जिला के पदमा अंचल अन्तर्गत ट्रान्समीशन लाइन 33 के0बी0 कार्य हेतु Deemed Forest भूमि (जंगल) इत्यादि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन से संबंधित हस्तांतरण के संबंध में अनापति प्रमाण पत्र।

वन भूमि जंगल Deemed Forest भूमि (जंगल) भूमि जो जिला हजारीबाग अंचल– पदमा के अन्तर्गत निम्नांकित भूमि का अनापति प्रमाण निर्गत किया जाना है।

क्र0 संख्या	अंचल का नाम	ट्रांसमिशन लाइन	ग्राम का नाम	थाना संख्या	प्लॉट संख्या	खाता संख्या	रकवा (हे0) में	भूमि काकिस्म
1	पदमा	33 के0 वी0	पदमा	27	6812	883	0.065	जंगल झाड़ी
					6819	883	0.030	
					6825	883	0.021	
					कुल		**0.116**	
2		33 के0 वी0	लाटी	28	1	46	0.270	
					108	46	0.300	
					कुल		**0.570**	
3		33 के0 वी0	सरैया	26	1545	310	0.165	
					1559	310	0.222	
					1543	310	0.270	
					1544	310	0.426	
					1550	310	0.014	
					कुल		**1.097**	
4		33 के0 वी0	नचनवे	8	885	1	0.360	
					815	1	0.555	
					कुल		**0.915**	
कुल योग							**2.698**	

उपरोक्त भूमि जंगल (Deemed Forest) है। ट्रान्समीशन लाइन 33 के0बी0 कार्य के लिए भूमि अपयोजन हेतु अनापति प्रमाण पत्र इस शर्त पर दी जाती है कि :–

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रायोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेंगें।
2. पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात आवश्यकतानुसार उक्त भूमि के हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा जिला में प्रस्ताव समर्पित किया जायगा।

ह0
उपायुक्त
हजारीबाग

ज्ञापांक 117/..., हजारीबाग, दिनांक 10.02.2021

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, राजस्वएवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पश्चिमी वन प्रमण्डल तथा वन्य प्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग एवं अन्य संबंधित सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी, बरही, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अंचल, अधिकारी, पदमा, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि0, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, हजारीबाग को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

Gopal Prasad Barnwal
Electrical Executive Engineer Project
Electric Supply Circle
Hazaribagh

R. N. MISHRA
I.F.S.
Divisional Forest Officer
West Division, Hazaribag

उपायुक्त
हजारीबाग